बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 03/11/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–135/2026–3087/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7483/2026 गणेश प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–14.05.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.05.2026 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"…. 3. Learned Counsel for the petitioner submits that his case is squarely covered by judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Balwant Singh Narwal and Ors. v. State of Harayana and Ors reported in (2008) 7 SCC 728 and it is the case of the petitioners that relying upon the Hon'ble Apex Court judgment, the Co-ordinate Bench has also decided several cases, one of such case interference given by the Co-ordinate bench in the case of Santosh Kumar and Others v. The State of Bihar and Others, C.W.J.C. No. 15663 of 2021, has been appended with writ petition as Annexure-P/6 and in the light of aforesaid judgments, the petitioner is said to have filed representation, which is pending before let the Director Primary Education Department of Education, for grant of notional pay scale and also consequential benefits, which is needs to be adjudicated strictly on the parameters fixed in the aforesaid cases.

4. On the other hand, learned counsel for the State does not dispute the factual position and submits that the issues may be directed to be adjudicated.

5. Considering the stand of the parties, this Court directs the representation of the petitioner, which is appended with the writ petition as Annexure-P/7, be adjudicated within a period of eight weeks in light of the judgment passed by the Hon'ble Apex Court and the judgment passed by the Co- ordinate Bench, which has been appended with the writ petition as Annexure-P/6.

6. Accordingly, the writ petition stands disposed of….."

3. याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में अंकित किया गया है कि उनकी नियुक्ति 'बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010' के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–210/2010 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय ज्ञापांक–441 दिनांक–08.02.2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालय, बेंदू टोला, थावे, गोपालगंज में 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के पद पर पे बैंड पी–2, ग्रेड पे–4200 (लेवल–6 एवं इन्डेक्स–1) में हुई थी।

याचिकाकर्त्ता का कथन है कि उक्त नियमावली तथा समरूप विज्ञापन के तहत वर्ष 2012 में नियुक्त हुए शिक्षकों के ही समरूप वर्ष 2012 से सेवा निरन्तरता तथा अन्य सभी परिणामी लाभ देते हुए बकाया भुगतान किया जाय।

4. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–2620 दिनांक–09.09.2026 से विषयांकित वाद में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गोपालगंज से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गोपालगंज के पत्रांक–629 दिनांक–10.09.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है कि:–

(i). एल०पी०ए० सं०–1254/2016 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम सत्येन्द्र कुमार व अन्य में दिनांक–28.08.2023 को पारित आदेश 34540 कोटि के शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.09.2023 को याचिका सं0–2787/2021 के आलोक में विभागीय पत्रांक–268, दिनांक–03.02.2024 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि दिनांक–28.08.2023 को उक्त पारित आदेश का अक्षरशः पालन किया जाय।

(ii). माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश एवं अवर सचिव, शिक्षा विभाग, पटना के आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गोपालगंज द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में ज्ञापांक–441 दिनांक–08.02.2024 द्वारा कर दी गई है तथा ये आवंटित विद्यालय में योगदान कर कार्य कर रहे है।

(iii). विषयांकित वाद में वादी द्वारा सेवा निरंतरता, All Consequential Retirement Benefits की मांग की गयी है। चूंकि वादी की प्रथम नियुक्ति ज्ञापांक–441 दिनांक–08.02.2024 के द्वारा की गयी है, जिसके उपरान्त इन्हें लगातार नियुक्ति से वेतनमान प्रदान किया जा रहा है।

(iv). समरूप मामले में सी०डब्लू० जे०सी० सं०–3621/2026 रामवृक्ष सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–1846, दिनांक 12.06.2026 के द्वारा वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए वाद का निस्तारण किया गया है।

5. अंकनीय है कि समरूप मामले बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के पद पर वर्ष 2019 के पश्चात् अनुशंसित तथा नियुक्त शिक्षकों को वर्ष 2012 से ही सभी परिणामी लाभ दिये जाने हेतु माननीय न्यायालय में संतोष कुमार

एवं अन्य याचिकाकर्त्तागण द्वारा सी0डब्लू0ज0सी0 स0–15663/2022 दायर किया गया। जिसमें दिनांक–08.12.2025 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में एल0पी0ए0 सं0–429/2026 दायर किया गया है। जिसके फलाफल से आदेश प्रभावित होगा।

अतएव उक्त अभिमत के साथ वाद का निस्तारण किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–135/2026.....3087..... पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपिः– Ganesh Prasad Singh Son of Late Ram Sevak Singh Resident of Village and P.O.- Baikunthpur, P.S.- Raja Pakar, District- Vaishali को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–135/2026.....3087..... पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) गोपालगंज/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।